

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 444 / 2013
संस्थान दिनांक 16.08.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

असलम पिता जरदार (नायता), आयु 30 वर्ष,
दशहरा मैदान, ठीकरी, तहसील ठीकरी,
जिला- बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 24 / 01 / 2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 153 / 2013 अंतर्गत धारा 11 'घ' म.प्र. पशु प्रतिषेध अधिनियम, एवं धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में दिनांक 16.08.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त असलम के विरुद्ध दिनांक 18.07.2013 को समय 17:20 बजे, ए.बी. रोड ग्राम बरुफाटक बायपास पर वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 में नग 02 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर ले जाने, गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये जाने, गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने के संबंध में धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 18.07.2013 को शाम के समय आरक्षी केन्द्र ठीकरी के सहायक उपनिरीक्षक शिवराम जाट को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 में बैलों को भरकर वध हेतु महाराष्ट्र टेम्पों का चालक ले जा रहा है। सूचना पर राहगीर पंच काशीराम एवं हमराह आरक्षक प्रशांत को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया, आगरा-मुम्बई आम मार्ग पर बरूफाटक बायपास पर ठीकरी की ओर से आने वाले वाले वाहनों को चेक किया, तभी ठीकरी की ओर से वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 आते दिखा जिस पर तिरपाल ढंकी हुई थी, उसे चेक करने पर उसमें नग 02 बैल थे, जिनके मुँह एवं पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने वाहन चालक का नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम असलम पिता जरदार, निवासी ठीकरी का होना बताया। वाहन चालक से बैलों के संबंध में पूछताछ की, तो चालक द्वारा बैलों को महाराष्ट्र ले जाना बताया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर ही पंच साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से उक्त बैल एवं वाहन जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त असलम को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त असलम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 153/2013 अंतर्गत धारा 11 'घ' म.प्र. पशु प्रतिषेध अधिनियम, 1960 एवं धारा 4, 6, 9 कृषिक पशु प्रतिषेध अधिनियम, 2004 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 4 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षीगण आरक्षक प्रशांत एवं काशीराम के कथन लेखबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त असलम के विरुद्ध धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त दिनांक 18.07.2013 को समय 17:20 बजे, ए.बी. रोड़ ग्राम बरूफाटक बायपास पर वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 में नग 02 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर ले जा रहा था ?

2. क्या अभियुक्त उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाया गया ?

3. क्या अभियुक्त उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में काशीराम (अ.सा.1), सहायक उपनिरीक्षक शिवराम जाट (अ.सा.2), डॉ. दिनेश पटेल (अ.सा.3) एवं आरक्षक प्रशांत (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त असलम की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में शिवराम जाट (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 18.07.2013 को उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 में 02 बैल वध हेतु महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं। सूचना पाकर सूचना पर उसने हमराह आरक्षक एवं पंच काशीराम पिता रघुनाथ को तलब किया तथा ठीकरी की ओर से आने वाले वाहनों को रोककर चेक किया जिसमें वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 आने पर उसे रोका। उक्त टेम्पों में 02 बैल मुँह-पैर बांधकर क्रूरतापूर्वक वाहन का चालक लेकर जा रहा था। चालक का नाम पता पूछने पर उसने असलम पिता जरदार नायता निवासी ठीकरी का होना बताया था तथा परमिट एवं बैलों का पूछने पर बैलों को वध हेतु महाराष्ट्र ले जाना बताया एवं पशुओं को परिवहन करने के परमिट एवं अन्य दस्तावेज नहीं होना बताया। अभियुक्त का उक्त कार्य गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (घ) होने से अभियुक्त एवं वाहन को मौके पर प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त किया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने अभियुक्त को

गिरफ्तार किया तथा अभियुक्त को बैलों सहित थाने पर लाकर प्रदर्शपी 4 का अपराध दर्ज किया जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने प्रकरण में जप्त पशुओं को वृंदावन गौशाला ठीकरी में अस्थाई सुपुदर्गीनामे पर दिया। उसने बैलों को परीक्षण के लिए पशु चिकित्सक ठीकरी को प्रदर्शपी 5 का पत्र भेजा था। उसने साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे और रवानगी एवं वापसी रोजनामों की प्रतिलिपि प्रकरण में पेश की है।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने रोजनामचे में रवानगी की दिनांक और उसके साथ अन्य कौन व्यक्ति गये थे इसका उल्लेख नहीं किया हैं साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना गुरुवार के दिन की है, लेकिन यह जानकारी होने से इंकार किया कि राजपुर, जिला बड़वानी एवं सुन्देल में गुरुवार को पशुओं के क्रय-विक्रय करने का हाट बाजार का आयोजन किया जाता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि पशुओं के क्रय-विक्रय हेतु हाट बाजार कुछ स्थानों पर शासन द्वारा लगाये जाते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि ठीकरी से महाराष्ट्र राज्य की सीमा 70 से 80 किली मीटर की दूरी पर है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त से कोई बैल जप्त नहीं किये थे अथवा उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण दर्ज किया है।

9. प्रशांत असा 4 ने भी दिनांक 18.07.2013 को सहायक उपनिरीक्षक श्री शिवराम जाट द्वारा उसे धामनोद की ओर से वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 में अवैध रूप से बैलों को भरकर महाराष्ट्र ले जाने की सूचना देने और अभियुक्त के पास से उक्त टेम्पों में 2 बैल बिना परिवहन परमिट के जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने जप्ती पंचनामों प्रदर्शपी 1 पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि गुरुवार के दिन ग्राम सुन्देल में बैल बाजार लगता है, जहाँ अच्छे किस्म के बैल क्रय करने एवं विक्रय करने हेतु कृषक लोग आते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल से महाराष्ट्र की सीमा 90 से 100 मिलीमीटर की दूरी पर है। साक्षी ने स्वीकार किया कि ग्राम खेतिया, पलसूद, निवाली एवं राजपुर मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है तथा वहाँ और आसपास के गाँव के लोग बैल खरीदने सुन्देल आते हैं और गाड़ियों में भरकर तथा पैदल ले जाते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि चालक बैलों को महाराष्ट्र के किस गाँव या शहर ले जा रहा था, यह उन्होंने नहीं पूछा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त बैलों को कोई चोट नहीं थी लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त के विरुद्ध शिवराम जाट ने असत्य प्रकरण दर्ज किया है और वह असत्य कथन कर रहा है।

10. काशीराम अ.सा.1 उक्त अभियुक्त से बैलों एवं टेम्पों जप्त करने का स्वतंत्र साक्षी है, लेकिन साक्षी ने अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है। साक्षी का केवल इतना कथन है कि पुलिस वाले 4-6 माह पूर्व कुछ बैल लेकर आये थे और प्रदर्शपी 1 व 2 पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित करके सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उसे सहायक उपनिरीक्षक शिवराम जाट ने वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 में बैलों को महाराष्ट्र की ओर वध हेतु ले जाने की सूचना से अवगत कराया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह तथा सहायक उपनिरीक्षक श्री शिवराम जाट ए.बी. रोड़ पर खड़े होकर ठीकरी की ओर से आने वाले वाहनों को चेक कर रहे थे तो वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 की जाँच की, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि एक टेम्पों के अंदर उसने दो या तीन बैल खड़े हुए देखे थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने प्रदर्शपी 1 के पंचनामों के अनुसार बैल एवं टेम्पों उसके सामने जप्त किये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि टेम्पों का चालक अभियुक्त और उसके पास बैलों के परिवहन के कोई दस्तावेज नहीं थे। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 का सम्पूर्ण कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पास खेती है और खेती में बैलों की आवश्यकता पड़ती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि ग्राम सुन्देल पशु बाजार में अच्छी किस्म के बैलों का क्रय-विक्रय होता है तथा ठीकरी एवं आसपास के लोग भी सुन्देल बाजार से बैलों का क्रय-विक्रय करते हैं और उनके गाँव के रास्ते से जाते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब उसने प्रदर्शपी 1 व 2 पर हस्ताक्षर किये थे तब उक्त दस्तावेज कोरे थे।

11. डॉ. दिनेश पटेल अ.सा. 3 ने दिनांक 22.07.13 को थाना ठीकरी के प्रदर्शपी 5 का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर 2 जप्त बैलों का चिकित्सीय परीक्षण वृंदावन गौशाला जाकर करने पर उन्हें शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं होना पाया था और उक्त दोनों बैलों को कृषि कार्य के लिए उपयोगी होना बताया है। साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि किसी पशु को लंबी दूरी तक पैदल चलाया जाता है तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है।

12. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के साक्षी शिवराम जाट ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार किया है कि जप्ती स्थल से महाराष्ट्र की सीमा लगभग 80 से 90 किमी की दूरी पर है और पास के स्थान ग्राम सुन्देल में पशुओं के क्रय-विक्रय करने का हाट बाजार लगता है, जहाँ पर कृषक अच्छी किस्म के बैलों का क्रय-विक्रय करते हैं तथा प्रशांत अ.सा. 4 ने भी प्रतिपरीक्षण में इसी प्रकार की स्वीकारोक्ति की है। उक्त दोनों साक्षीगण पुलिस विभाग के हैं जिनके द्वारा इस प्रकरण में कार्यवाही की गई है, लेकिन जप्ती पंचनामों के

स्वतंत्र साक्षी काशीराम अ.सा.1 ने शिवराम जाट अ.सा.2 द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य से वाहन टेम्पो क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 9612 और उसमें भरे हुए बैल उसके सामने जप्त करने से स्पष्ट इंकार करके अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है तो पुलिस अधिकारियों के हितबद्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना, दिनांक, स्थान व समय पर गोवंश के 2 बैलों को महाराष्ट्र राज्य में वध करने के प्रयोजन से उनका मध्यप्रदेश राज्य के भीतर से राज्य के बाहर क्रूरतापूर्वक मुँह एवं हाथ पैर बांधकर परिवहन किया।

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त असलम के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टेम्पो क्रमांक एम.पी.09 एल.एन. 9621 एवं जप्त बैल के संबंध में राजसात की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। अतः उक्त संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

15. निर्णय की एक प्रति राजसात की कार्यवाही के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट बड़वानी की ओर भेजी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

